SC-6
3/11

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(CIVIL WRIT JURISDICTION)

C.W.J.C No............................/2014

Nutan Kumari .... Petitioner

V/S

The State of Bihar and other ....Respondents

Sub.:-Selection matter,
Non gazatted

Index

Sl.No.	Particulars	Page no.
1.	An application under article 226 of the Constitution of India.	1-7
2.	Annexure-1:A true photo copy of the Certificates series	8-10
3.	Annexure-2:A true photo copy of application reciept dt. 29.06.13	11
4.	Annexure-3:A true photo copy of the amended Circular dt. 10.06.2013	12-13
5.	Annexure-4:A true photo copy of the proceeding dt. 08.09.2014	14-18
6.	Annexure-5:A true photo copy of representation dt. 25.09.14	19
7.	Annexure-5:A true photo copy of representation dt. 18.10.14	20-21
8	VAKALATNAMA.	

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA
(CIVIL WRIT JURISDICTION)
C .W.J.C No............................./2014

Nutan Kumari .... Petitioner

V/S

The State of Bihar and other ....Respondents

Synopsis

Prayer	For quashing the proceeding of the selection on the post of anganwar Sevika within Gram Panchayat, Birgaon, Ward No. 5 which was made on 08.09.2014 as presided by Ward Member, Ward No. 5 of Gram Panchayat, Birgaon, by which selected the case of the respondent no. 8 and rejected the case of the petitioner ,on the ground the Bhaisur of the petitioner is Teacher working within the District and getting honrarium more than Rs. 6000/- hence as per the Rule she is not entitled for selection on the post of Sevika within the Gram Panchayat, Birgaon, Ward No. 5 and further quashing the selection letter of the respondent no. 8, who has been illegally selected ,her selection is against guideline of 2011 and further issued direction to the respondent consider the case of the petitioner for appointment on the post of Sevika as she is entitled for appoint ment as per the guideline of the respondents and has better qualification to others and further give other legal consequential benefits attach to the post. Petitioner having qualfification Madhyama from Bihar Sanskrit Shiksha Board, Patna and belongs to Caste of Dushad as SC Caste and his Bahu of the Birgaon. Thus, she is entitled for appointment on the post of Sevika .
29.06.13	Petitioner submitted application on 29.06.2013 before CDPO, Gwalpara.
04.11.2011	Clause 4.2 of the Guideline dt. 04.11.2011 clearly stipulated that at first shall be considered S.C caste candidates whereas the caste of the petitioner are more peopulation than other caste within the Poshak Area village Birgaon, Gram Panchayat Birgaon Chatra, Ward No. 5
08.09.2014	Selection committee rejected application of petitioner without any valid ground as stated that her Bhaisur is working as a Teacher on the contract basis and getting more than Rs. 6000/- Whereas perusal of the amended Circular dt. 10.06.2014, the Bhaisur is not counted as a reletive for selection on the post of Sevika in Anganwari. The Village Birgaon, Gram Panchayat Birgaon Chatra, Ward No. 5, General Caste No. 112, whereas the caste of the SC is 146, the caste of the petitioner in more than others Caste.
25.09.14 18.10.14	Petitioner filed several application before respondent District Magistrate, District Programme Officer, District Welfare Officer, Madhepura regarding ille gal selection of the respondent no. 8 and considering the case of the petitioner but application of the petitioner have not been considered as yet.

Hence this writ application.

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(CIVIL WRIT JURISDICTION)

C.W.J.C NO.   /2014

In the matter of an appliction under

Article 226 of the constitution of India.

And

In the matter of

Nutan Kumari, W/o Dharmendra Paswan R/o village Birgaon, PO Chatra, P.S. Gwalpara, Ward No. 5, District Madhepura.   ....Petitioner

Versus

1. The State of Bihar through Principle Secretary, Social Welfere Department Govt.Bihar, Patna.

2. The Principle Secretary, Social Welfere Department Govt.Bihar, Patna.

3. The Director, Social Welfere Department Govt. Bihar Patna

4. The District Magistrate, Madhepura, District Madhepura

5. District Welfare Officer Madhepura, District Madhepura

6. The District Programme Officer, Madhepura, District Madhepura

7. The Child Development Project Officer,Gwalpara, District Madhepura.

8. Bandana Kumari, W/o Ajay Kumar Singh, R/o village Birgaon, PO Chatra, P.S. Gwalpara, Ward No. 5, District Madhepura   ....Respondents.

To,

The Hon'ble Sri Shiva Kriti Singh, the Acting Chief Justice of the High Court of Judicature at Patna and his companion Justices of the said Hon'ble Court.

The humble application on behalf of petitioner above named.

Most Respectfully Sheweth:-

1. That this writ application is being filed for issuance of writ in the nature of cerriotari for quashing the proceeding of the selection on the post of anganwari Seveka within Gram Panc -hayat, Birgaon, Ward No. 5 which was made on 08.09.2014 as presided by Ward Member, Ward No. 5 of Gram Panchayat, Birgaon, by which selected the case of the respondent no. 8 and rejected the case of the petitioner ,on the ground the Bhaisur of the petitioner is Teacher working within the District and getting honrarium more than Rs. 6000/- hence as per the Rule she is not entitled for selection on the post of Sevika within the Gram Panchayat, Birgaon, Ward No. 5 and further quashing the selection letter of the respondent no. 8, who has been illegally selected ,her selection is against guideline of 2011 and further issued direction to the respondent consider the case of the petitioner for appointment on the post of Sevika as she is entitled for appointment as per the guideline of the respondents and has better qualifi cation to others and further give other legal consequential benefits attach to the post.

2. That main points are involved in this writ application are as follows:-

i) Whether the petitioner applied on 29.06.2013 for the post of the Sevika in pursu ance of the advertisement made by the respondents or not?

ii) Whether respondent authority should have consider as per the advertisement /notice made in year 2013, same should be considered within the stipulated period but did not consider rather than consider by the meeting dt. 08.09.2014 and ignoring the case of the petitioner in pursuance of the guideline 2011 or not?

iii) Whether the petitioner is belongs to caste of Dushad as S.C Caste and having more population to other castes in the poshak area, in this circumstances Clause 4.2 of the Guideline dt. 04.11.2011, petitioner is being SC Caste, her case should be consid ered first but respondent authority did not consider as yet or not ?

iv) Whether petitioner come to know about the selection of the respondent no. 8 then she filed an application before District Magistrate and District Programme Officer, Madhepura and other officers, for illegal selection of the respondent no. 8 ,without following the guideline and case of the petitioner has illegally rejected with any valid basis or not ?

v) Whether in pursuance of letter dt.10.06.2013 issued by the Director, Social Welfere Department Govt. Bihar Patna by which amendment of Guideline 2011 inter alia stated that the relation has been clearly mentioned as Mother, Wife, Bahu, Nanad , the appli -cation shall not been discarded ,if any relation as Bhaisur is employee of the govern -ment servant ,even on Contract basis or not?

vi) Whether action of the respondents illegal, arbitrary, malafide and miscourage of jus -tice due to non consideration of the case of the petitioner or not?

3 That petitioner is citizen of India and he is entitled for right guarantee under the Consti -tution of India.

4 That petitioner having qualfification Madhyama from Bihar Sanskrit Shiksha Board, Patna and belongs to Caste of Dushad as SC Caste and his Bahu of the Birgaon.Thus, she is entitled for appointment on the post of Sevika in pursuance of the Guideline 2011 issue by the respondents.

A true photo copy of the Certificates are annexed as Annexure - 1 series to this application.

5 That the respondents issued vacancy for the appointment on the post of Sevika within

the Gram Panchayat Birgaon, Chatra within the Ward no. 5, P.S. Gwalpara,District -Madhepura, in pursuance of the advertisement petitioner has been submitted application on 29.06.2013 before Child Development Officer, Gwalpara, District Madhepura and have granted receipt to the petitioner.

A true photo copy of application reciept dt. 29.06.13 is annexed as Annexure - 2 to this application.

6. That very peculiar facts and circumstances in his case is that the application of the petitioner was taken on 29.06.2013 and selection for the meeting was held on 08.09.2014, said meeting presided by the Ward member of the Ward No. 5, in the said proceeding ,the petitioner and other five applicant were considered and selection committee had prepared a merit list, perusal of the Merit list lordship will find that except petitioner no other applicants are belong to Caste of S.C but her case has not been considered without any clausable reason whereas Clause 4.2 of the Guideline dt. 04.11.20[illegible] clearly stipulated that at first shall be considered S.C caste candidates whereas the caste of the petitioner are more peopulation than other caste within the Poshak Area village Birgaon, Gram Panchayat Birgaon Chatra, Ward No. 5 even than selection committee rejected application of petitioner without any valid ground as stated that her Bhaisur is working as a Teacher on the contract basis and getting more than Rs. 6000/- Whereas perusal of the amended Circular dt. 10.06.2014, the Bhaisur is not counted as a reletive for selection on the post of Sevika in Anganwari.

A true photo copy of the amended Circular dt. 10.06.2013 and the proceeding dt. 08.09.2014 are annexed as An -nexure - 3 & 4 to this application.

7. That further needful to stated here that the petitioner got the information about the selection of the respondent no. 8 under right of information Act and proceeding of meeting dt.08.09.2014 had supplied by the respondents under Right of Information Act.

8. That further cost of repetation repeated here that within the village Birgaon, Gram Panchayat Birgaon Chatra, Ward No. 5, General Caste No. 112, whereas the caste of the SC is 146, the caste of the petitioner in more than others Caste, in this circumstances the case of the petitioner should have considered by the respondents but did not consider rather rejected without any valid reasons.

9. That the petitioner filed several application before respondent District Magistrate, District Programme Officer, District Welfare Officer, Madhepura regarding illegal selection of the respondent no. 8 and considering the case of the petitioner but application of the peti tioner have not been considered as yet.

A true photo copy of representation dt. 25.09.14 is annexed as Annexure - 5 to this application.

10. That petitioner further filed an application on 18.10.2014 before respondent District Magistrate, Madhepura as remember regarding illegal selection of the respondent no. 8 and for considering the case of the petitioner but application of the petitioner is not considered as yet and compelled to filed present application.

A true photo copy of representation dt. 18.10.14 is annexed as Annexure - 6 to this application.

11. That petitioners tried to obtain the appointment letter of the respondent no. 8 but could not obtain till today, soon after obtain or if any supplied before this Hon'ble Court by the either parties,which is also under challenge in present proceeding , if respondents shall supply the appointment letter of respondent no. 8 same is unnder challenge before this Hon'ble Court.

12. That in pursuance of the Government Circular respondent District Magistrate should have enquired the matter soon after receiving complain filed by the aggrieved persons re garding selection on the post of Sevika but did not take any action and have complelled to file

present writ application for cancellation of the selection of the respondent no. 8 and selection of the petitioner as she is entitled for appointment in pursuance of the guideline 2011.

13. That perusal of the proceeding dt. 08.09.2014 lordship find that the meeting dt. 08.09. 2014 presided by Ward member No. 5 as Narayan Ram but in the proceeding signature was made by the Sanjay Singh as a Chairman, who is the Panch Ward No. 5, he has no right to be made signature as Chairman, whenever Chairman of the meeting was Narayan Ram, whereas Sanjay Singh is own relative as Bhaisur of the respondent no. 8.

14. That on the above facts and circumstances of the case petioners is deserves relief by this Hon'ble court.

15. That there is no alternative and officecious remedy save andexcept to move before this Hon'ble Court.

16. That pettitioner has not moved before this Hon'ble Court any time earlier for the reliefs sought for in this writ application.

It is therefore prayed that your loreships may graciously be pleased to Admit this application,issue notice to show cause as to why the relief sought for in para-1 of this writ application be not granted to petitioner and after hearing the parties and upon cause being shown if any, pass such other order / orders as your Lordships may deem fit and proper.

And/or

During the pendence of this writ application may kindly stayed selection of the respondent no.8

And for this this the petitioner shall ever pray.

AFFIDAVIT

I, Nutan Kumari,aged about 24 years W/o Dharmendra Paswan R/o village Birgaon, PO Chatra, P.S. Gwalpara, Ward No. 5, District Madhepura, do hereby solemnly affirm and state as follows:-

1. That I am petitioner in this case and as such am well acquainted with the facts and circumstances of the case.

2. That I have gone through the contents of this application and have fully understood the same. The statements made in paragraphs no.3, 11 to16 are true to my knowledge and paragraphs no.4 to 10 information derived from the records of the case and rest are by way of submission before this Hon'ble Court.

3. That annexures are true/photo copies of the originals.

नुतन कुमारी

क्रम संख्या: BSSB/09-44636

Annexure - 15 ... (8)

बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना

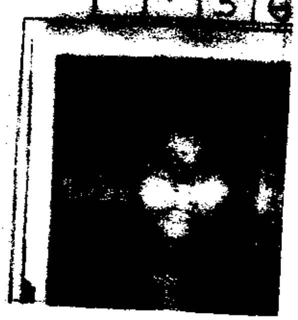

मध्यमा परीक्षा 2009 प्रमाणपत्रम्

श्री.......NUTAN KUMARI

श्री.......SUNIL PASWAN.......इतिनाम्ना/नाम्नी,

ARARIA.......इतिनाम्नः पुत्रः/पुत्री/

.......मण्डलान्तर्गत.......VEDANAND DROPADI SNK.MAD.SCHOOL,BHARGAMA,ARARIA.......विद्यालयस्य

नियमितः/नियमिता/स्वतन्त्रः/छात्रः/छात्रा.......2009 (Two Thousand Nine).......तमैखृष्टाब्देऽस्य

बोर्डस्य मध्यमा परीक्षां.......3rd Div. (Third Division).......श्रेण्या समुत्तीर्णवान्/समुत्तीर्णवती,

अस्य/अस्याः/जन्मतिथिश्च.......05/05/1990 (Fifth May Ninteen Ninty)

केन्द्रम (कोड संख्या).......3304.......अस्ति।

.......क्रमांङ्कः.......0452

अनिवार्य विषयः (1) संस्कृत व्याकरणे, (2) संस्कृत साहित्ये, (3) संस्कृत सामान्ये, (4) हिन्दी साहित्ये, (5) सामाजिक शिक्षा, (6) आँग्ल भाषा (अँग्रेजी), (7) सामान्य विज्ञान। अतिरिक्त विषयः.......MAITHILI

इति प्रमाणयति

पटना, दिनांक: 06/12/2010

सचिवः
बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना

समर कैम्प 2009

235

कोशी बाढ़ पुनर्वास शैक्षणिक कार्यक्रम

सम्मान-पत्र

प्रदत्त :- 'प्रथम' मुम्बई शिक्षण उपक्रम, बिहार

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री/श्रीमती ....रतन कुमारी....

पिता/पति ....श्री सुनिल पासवान.... ने 'समर कैम्प' कार्यक्रम के तहत 'प्रथम' स्वयंसेवक के रूप में दिनांक ....10-06-09.... से ....10-07-09.... तक गाँव/विद्यालय.. ....[illegible] पासवान टोला बीरगाँव.... प्रखण्ड ....ग्वालपाड़ा...., जिला ....मधेपुरा.... में कक्षा - 1 एवं 2 के बच्चों की दक्षता वृद्धि के लिए योगदान दिया। इनका कार्य सराहनीय रहा।

अतः हम इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं।

कार्यक्रम समन्वयक

राज्य समन्वयक
बिहार

बिहार सरकार

GOVERNMENT OF BIHAR

(10)

फॉर्म - II

कार्यालय का नाम

जिला : मधेपुरा अनुमंडल : उदाकिशुनगंज, प्रखंड : ग्वालपाड़ा

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र

दिनांक : 28/06/201[illegible]

क्रमांक संख्या : 040714111081301212

अनुक्रमांक संख्या : 1197

प्रमाणित किया जाता है कि ~~श्री/श्रीमती~~/कुमारी नूतन कुमारी

~~Sri/Smt~~/Kumari NUTAN KUMARI

~~पुत्र/पुत्री/पत्नी~~ पुत्री धर्मेन्द्र पासवान गाँव/~~शहर~~ बीरगांव

Son/Daughter/Wife DHARMENDRA PASWAN Village/Town BIRGAOWN

पोस्ट ऑफिस चतरा थाना ग्वालपारा

अनुमंडल उदाकिशुनगंज जिला मधेपुरा राज्य बिहार दुसाध जाति

के सदस्य हैं, जो कि संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950, संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950,

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सूचि (मोडिफिकेशन) 1956 एवं अनुसूचित जाति एवं

अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 एवं समय-समय पर यथासंशोधित अधिनियम के

अधीन बिहार राज्य की सूचि में अनुक्रमांक 11 पर अंकित है अतः

श्री/श्रीमती/कुमारी नूतन कुमारी ~~पुत्र/पत्नी~~ पुत्री धर्मेन्द्र पासवान

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का/की है।

श्री/श्रीमती/कुमारी नूतन कुमारी एवं उनका परिवार

[illegible] बीरगांव प्रखंड ग्वालपाड़ा पोस्ट ऑफिस चतरा

थाना ग्वालपारा अनुमंडल उदाकिशुनगंज

जिला मधेपुरा राज्य बिहार में निवास करते हैं।

हस्ताक्षर

अंचल अधिकारी

पदनाम ग्वालपाड़ा (मधेपुरा)

(कार्यालय का मुहर सहित)

Annexure - 2

क्रमांक – 107

श्रीमती नूतन कुमारी (सेविका हेतु) वार्ड नं० 5 पंचायत अंतर्गत वीरगाँव चतरा, आंगनबाड़ी केन्द्र हेतु सेविका / सहायिका पद पर चयन के लिए विहित प्रपत्र आवेदन प्राप्त किया गया जिसकी प्राप्ति संश्य है।

दिनांक – 29.06.2013

ह० / अस्पष्ट

प्राप्तकर्त्ता का हस्ताक्षर

पूरा नाम एवं पदनाम

Annexure-2

बिहार सरकार
समेकित बाल विकास सेवाएँ:-केन्द्र निदेशालय, बिहार
(समाज कल्याण विभाग)
द्वितीय तल इंदिरा भवन, राम चरित्र सिंह पथ, पटना – 800001

संचिका संख्या – ICDS / 30020 / 01 / 2011 / 2897

प्रेषक,	दिनांक 10.06.2013

बन्दना प्रेयषी, भा.प्र.से.
निदेशक।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,

विषय– सेविका / सहायिका चयन हेतु मार्गदर्शिका, 2011 में संशोधन / नए प्रावधान।

महाशय,

सरकार द्वारा सेविका / सहायिका चयन हेतु मार्गदर्शिका 2011 दिनांक 04.11.2011 से पूरे बिहार में लागू की गई है। सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत इस मार्गदर्शिका में निम्नांकित संशोधन / नए प्रावधान किये जाते हैं –

कंडिका / उप कंडिका	वर्त्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान
4 / 48	जनप्रतिनिधियों की पत्नी / बहु / रिश्तेदार इस पद के लिए अयोग्य होगी। (रिश्तेदार से अर्थ है – पत्नी, बहु, बहन, ननद, भौजाई, पुत्री तथा इसके साथ महिला जनप्रतिनिधि के मामले में उनके पति के सहोदर भाई की पत्नी, पुत्री और बहु)।	संबंधित जिले के जनप्रतिनिधियों की पत्नी / बहु / रिश्तेदार इस पद के लिए अयोग्य होगी। (रिश्तेदार से अर्थ है – माँ, पत्नी, बहु, ननद, भाभी (अर्थात् बड़े एवं छोटे भाई की पत्नी) तथा इसके साथ महिला जनप्रतिनिधि के मामले में उनके पति के सहोदर भाई की पत्नी और बहु)। जन प्रतिनिधि की पुत्री एवं बहन संबंधित प्रखंड में सेविका / सहायिका पद पर चयन हेतु अयोग्य होगी।
4 / 48(i)	सेविका / सहायिका चयन मार्गदर्शिका – 2011 की कंडिका 4 की उप कंडिका 4.8 में जन प्रतिनिधि स्वयं अथवा उनके संबंधी आँगनबाड़ी सेविका पद पर चयन हेतु आवेदन देते है। तो जन प्रतिनिधि के पद से उनका त्याग पत्र कब मान्य होगा, का वर्णन नहीं है।	अभ्यर्थी के संबंधी अथवा स्वयं अभ्यर्थी का जन प्रतिनिधि के पद से आम सभा में लिए गये अंतिम निर्णय के उपरान्त 15 दिनों के भीतर सक्षम प्राधिकार द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र बाल विकास परियोजना कार्यालय में जमा करना मान्य होगा। इसके पश्चात् ही चयन पत्र निर्गत किया जायेगा। यदि 15 दिनों के बाद भी स्वीकृत त्याग पत्र प्राप्त नहीं होता है तो मेधा सूची पैनल से दूसरे नम्बर के अभ्यर्थी का चयन किया जाए।
4 / 49	संबंधित जिले में पदस्थापित सरकारी / अर्द्धसरकारी सेवकों की पत्नी, बहु, रिश्तेदार का चयन सेविका पद पर नहीं किया जायेगा। (रिश्तेदार से अर्थ है – पत्नी, बहु, बहन, ननद, भौजाई, पुत्री)	संबंधित पंचायत / प्रखंड / अंचल / अनुमंडल एवं जिला में पदस्थापित सरकारी (केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार) / अर्द्धसरकारी कर्मचारी या पदाधिकारी के रिश्तेदार का चयन सेविका पद पर नहीं किया जायेगा। {रिश्तेदार से अर्थ है – माँ, पत्नी, बहु, ननद, भाभी (अर्थात् बड़े एवं छोटे भाई की पत्नी) पुत्री, बहन)} संविदा अथवा मानदेय आधारित कर्मचारी या पदाधिकारी जिनकी मासिक आय रू० 6000 / – (छः हजार रूपये) या उससे कम है, उनके ऊपर यह कंडिका लागू नहीं होती है।
4 / 4.10	विभिन्न सरकारी सामग्रियों के विक्रेताओं (जैसे जन वितरण प्रणाली विक्रेता, घुमन्तु किरासन तेल के विक्रेता) की पत्नी / बहु / रिश्तेदार इस पद के लिए अयोग्यत होगें। (रिश्तेदार से अर्थ है – पत्नी, बहु, बहन, ननद, भौजाई, पुत्री)।	संबंधित प्रखंड के विभिन्न सरकारी सामग्रियों की विक्रेताओं (जैसे – जन वितरण प्रणाली विक्रेता, घुमन्तु किरासन तेल के विक्रेता) की माँ, पत्नी, बहु, रिश्तेदार इस पद के लिए अयोग्य होगें।{रिश्तेदार से अर्थ है – माँ, पत्नी, बहु, ननद, भाभी (अर्थात् बड़े एवं छोटे भाई की पत्नी) पुत्री, बहन)}।

कंडिका / उप कंडिका	वर्त्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान
4 / 4.12(v)	सेविका / सहायिका चयन मार्गदर्शिका – 2011 की कंडिका 4 की उप कंडिका 4.12(v) के अनुसार – "ऐसी महिलाएँ जो पहले से किसी सरकारी / अर्द्धसरकारी तथा सरकार द्वारा प्रदत्त किसी लाभ के पद पर कार्यरत है वे सेविका / सहायिका के पद पर चयन हेतु अयोग्य होगी।	सेविका / सहायिका चयन मार्गदर्शिका– 2011 की कंडिका 4 की उप कंडिका 4.12(v) के अनुसार आशा कार्यकर्त्ता सरकारी / अर्द्धसरकारी तथा सरकार द्वारा प्रदत्त किसी लाभ के पद पर कार्यरत नहीं है। अतः आशा कार्यकर्त्ता का चयन सेविका / सहायिका पद पर किया जायेगा। चयन होने के पश्चात् 15 दिनों के अन्दर अपना शपथ पत्र में त्याग पत्र उपलब्ध करायेगी।
4 / 4.12(vi)	नया प्रावधान	आँगनबाड़ी सेविका / सहायिका मानदेय आधारित कार्यकर्त्ता हैं। ये सरकारी / अर्द्धसरकारी अथवा सरकार द्वारा प्रदत्त किसी लाभ के पद पर नहीं है। अतः इनके रिश्तेदार का चयन सेविका / सहायिका के पद पर किया जायेगा।
10 / 10.10	नया प्रावधान	विभिन्न प्रकार के जाँचों के फलस्वरूप सेविका / सहायिकाओं पर केन्द्र संचालन में अनियमितता इत्यादि बरतने के आरोप में किए गये आदेशों / अपील आदेशों की समाज कल्याण विभाग आवश्यकतानुसार स्वयं अथवा अभ्यावेदनों के आधार पर समीक्षा कर सकेगा तथा इन आदेशों को संशोधित भी कर सकेगा।
11 / 11.1	सेविका / सहायिका चयन मार्गदर्शिका – 2011 की कंडिका 11 की उप कंडिका 11.1 के अनुसार संबंधित सेविका / सहायिका एक माह पूर्व इसकी सूचना देकर अपने पद से त्याग पत्र दे सकेंगी। यह त्याग पत्र लिखित रूप से संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी कार्यालय में भेजा जाना चाहिए। त्याग पत्र की सूचना प्राप्त होने पर संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा एक सप्ताह के अंदर इस पर निर्णय लिया जायेगा यदि एक सप्ताह के अंदर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया जाता है तो त्याग पत्र स्वतः स्वीकृत माना जायेगा।	संबंधित सेविका / सहायिका एक माह पूर्व इसकी सूचना देकर अपने पद से त्याग पत्र दे सकेगी। यह त्याग पत्र लिखित रूप से संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी कार्यालय में भेजा जाना चाहिए। त्याग पत्र की सूचना प्राप्त होने पर संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा निर्धारित समय सीमा के उपरान्त एक सप्ताह के अंदर इसे स्वीकृत / अस्वीकृत माना जाये। यदि एक सप्ताह के अंदर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया जाता है तो त्याग पत्र स्वीकृत माना जायेगा।

उपरोक्त संशोधन / नए प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

विश्वासभाजन,
ह० / अस्पष्ट 10.06.2013
(बन्दना प्रेयषी)
निदेशक

ज्ञापांक- ICDS / 30020 / 01 / 2011 / 2897 दिनांक 10.06.2013

प्रतिलिपि – माननीय मंत्री समाज कल्याण के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि – सभी उप निदेशक, कल्याण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि – सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि – सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह० / अस्पष्ट
10.06.2013
निदेशक

Annexure-4

प्रेषक,

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी,

ग्वालपाड़ा, मधेपुरा।

सेवा में,

श्रीमती नुतन कुमारी,

ग्राम – वीरगाँव,

पोस्ट – चतरा

प्रखंड – ग्वालपाड़ा, जिला मधेपुरा।

विषय– माँगे गये सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके द्वारा मांगे गये सूचनाएँ इस पत्र के साथ संलग्न कर उपलब्ध कराया जा रहा है। कुल 26 पन्ने में शुल्क जमा कर सूचनाएँ प्राप्त करें।

जमा शुल्क – 26 X 4 = 104/– (एक सौ चार)

रूपये मात्र।

विश्वासभाजन,

ह०/अस्पष्ट

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी,

ग्वालपाड़ा, मधेपुरा।

आज दिनांक 08.09.2014 को 2 बजे अपराह्न में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी कार्यालय के पत्रांक   दिनांक   के आलोक में ग्राम पंचायत वीरगाँव अन्तर्गत रिक्त आंगनबाड़ी केन्द्र नवसृजित प्रा० विद्यालय,वीरगाँव वार्ड नं० 5 सेविका चयन हेतु आम सभा नवसृजित मध्य विद्यालय, वीरगाँव के प्रांगन वार्ड सदस्य वार्ड नं० 5 नारायण राम की अध्यक्षता में एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, ग्वालपाड़ा की उपस्थिति में आम सभा का आयोजन किया गया। जिसमें निम्न हस्ताक्षरित समिति सदस्य एवं पोषक क्षेत्र के वयस्क नागरिकों ने भाग लिया।

1.) वार्ड सदस्य वार्ड नं० 5 (अध्यक्ष)	नारायण राम
2.) बाल विकास परि० पदाधिकारी, (सचिव)	अस्पष्ट
3.) पंच वार्ड नं० 5 –	(संजय सिंह) 08.09.14
4) एक पुरूष सदस्य (मनोनित) पिछड़ी जाति / अनुसूचित जाति –	मदन पासवान 08.09.14
5) एक महिला मनोनित सदस्य –	रेणु देवी
6) प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा मनोनित ST/SC के पदाधिकारी सदस्य –	ह०/अस्पष्ट 08.09.14

1. लक्ष्मेश्वर प्रसाद सिंह
2. भूपेन्द्र नारायण सिंह
3. मोहन प्रसाद सिंह
4. हरे राम सिंह
5. अरूण यादव
6. लक्ष्मण प्रसाद सिंह
7. विनोद सिंह
8. श्याम नारायण सिंह
9. मिथिलेश कुमार
10. अभिमन्यु प्रसाद सिंह
11. मनोज सिंह
12. सत्य नारायण महतो
13. अमर कुमार सिंह
14. विनय कुमार
15. राज किशोर राय
16. विजेन्द्र पासवान
17. दयानन्द पासवान
18. विनोद राय
19. छोटी पासवान
20. मु०फजील
21. मो० रहमान
22. राजेश पासवान
23. विकास कुमार
24. राजेश पासवान
25. जगदीश पासवान
26. चन्द्र किशोर पासवान
27. विलेथर यादव
28. असील राम
29. गुलाब पासवान
30. बासुदेव राम
31. जयकृष्ण पासवान
32. विकाश कुमार
अखिलेश कुमार
33. कैलाश महतों
34. अस्पष्ट
35. सुलेख देवी
36. खेतनी देवी
37. माला देवी
38. रून्ना देवी
39. पानी देवी
40. नुतन देवी
ललिता देवी
41. रेणु देवी
42. रेखा देवी
43. बन्दना देवी
44. मृदुलता देवी
मीना देवी
45. वित्याष देवी
46. निर्मला देवी
47. रामानन्द सिंह
48. दीपक कुमार
49. बेचन महतो
50. मो० अलाउद्दीन
51. सुशील कुमार
52. अमित कुमार
53 मन्टु पासवान
54. लालजी देवी
55. Ratan Kumar Singh
56. Ashok Kumar Singh
57. अजय कुमार
58. रोशन कुमार
59. Lalit Kumar
60. Sujeet Kumar
61. किरण देवी
62. रूबी देवी
63. निर्मला देवी
64. मुनिमा देवी
65. बुलबुल देवी
66. गुंजन देवी
67. अजगरमनी देवी
68. लीला देवी
69 शान्ति देवी
70. खखती देवी
71 ललन महतो
72. धर्मेन्द्र पासवान
73. संजय कुमार
74- Shakti Kumar
75. अरूण पासवान
अजय कुमार सिंह

वार्ड सदस्य ग्राम पंचायत वीरगाँव वार्ड नं० 5 अध्यक्षता एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी ग्वालपाड़ा की उपस्थिति में मिनी आँगनबाड़ी केन्द्र अपने हेतु सेविका चयन आम सभा कार्यवाई प्रारम्भ की गई।

प्रस्ताव सं० – 1 – बाल विकास परियोजना पदाधिकारी ग्वालपाड़ा द्वारा सेविका के कर्त्तव्य एवं दायित्व पर प्रकाश डालते हुए कार्यक्रम के उद्देश्य पर विस्तृत रूप से बैठक में चर्चा की गयी। साथ ही आँगनबाड़ी सेविका के चयन के लिए अर्हताएँ / शर्त्तों की भी चर्चा की गयी।

प्रस्ताव – 2 सेविका पद के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए साथ ही पोषक क्षेत्र की स्थायी निवासी एवं गाँव की बहु होनी चाहिए।

प्रस्ताव सं० – 3 लोक सेवकों मुखियापं० सं० वार्ड सदस्य सरपंच एवं पंच सरकारी एवं अर्धसरकारी कर्मी के स्वयं रिश्तेदार इस पद पर चयन के योग्य नहीं होगें। जैसे बेटी, पत्नी, पुत्रवधू एवं पौत्रवधू का चयन इस पद पर नहीं किया जाएगा।

प्रस्ताव – 4 – सेविका पद के लिए शैक्षणिक योग्यता मैट्रीक उत्तीण होगी।

प्रस्ताव सं० – 5 सेविका पद के लिए अभ्युक्त की शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ्य होना चाहिए। इस आशय का प्रमाणक चयन के बाद देने अनिवार्य होगा। सामान्य योग्यता पर विधवा परित्यागता को प्राथमिकता दी जाएगी।

प्रस्ताव सं० – 6 – सेविका चयन में पोषक क्षेत्र के बाहुल्य वर्ग से सबसे अधिक मेधा अंक 1 अभ्यार्थी को चयन करने का प्रावधान है।

इस सभी अर्हताओं एवं शर्त्तें को स्पष्ट रूप से उपस्थित ग्रामीणों महिलाओं एवं पुरूषों को पढ़कर सुनाया गया। उपसिति ग्रामीणों में धन से सुना और समझा।

प्रस्ताव सं० – 7

प्रस्ताव सं० – 8 – इस वार्ड हेतु कुल 5(पांच) आवेदन पत्र प्राप्त हुए। मेधा क्रमांक 02 एवं 05 आम सभा से अनुपस्थित रही।

प्रस्ताव सं० – 09 मेधा क्रमांक 02 की आवेदिका दूसरे वार्ड की निवासी है। अतः नियमानुसार सेविका पद पर इसका चयन नहीं किया गया है।

प्रस्ताव सं० – 10– ये वार्ड अनुसूचित जाति वर्ग बाहुल्यता में आती है। अनुसूचित जाति से एक आवेदन पत्र प्राप्त हुए। आवेदिका नूतन कुमारी पति धर्मेन्द्र पासवान अनुसूचित जाति से आती है। लेकिन इनके भैसुर शिक्षक पद पर इसी जिले में कार्यरत है। एवं इनका मानदेय 6000/– से अधिक है। अतः नियमानुसार सेविका पद पर इनका चयन नहीं किया गया।

प्रस्ताव सं० – 11 – वर्ग बाहुल्यता से योग्य अभ्यार्थी नहीं रहने के कारण नियमानुसार मार्गदर्शिका 2011 के आलोक में (कंडिका – 4,2) अन्य वर्गों को वरीयता क्रम के अनुसार चयन प्रक्रिया अपनाई गयी। अनुसूचित जन जाति एवं अत्यंत पिछड़ी जाति से आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुए।

पिछड़ी जाति की आवेदिका मेधा क्रमांक 02 दूसरे वार्ड की निवास स्थान हैं। अतः नियमानुसार सेविका पद पर इनका चयन नहीं किया गया।

प्रस्ताव सं० – 12– मेधा क्रमांक 01 की आवेदिका वन्दना कुमारी पति अजय कुमार सिंह, जो इसी वार्ड की निवासी है तथा मार्ग दर्शिका के आलोक में सभी अर्हताएँ पूरी करती है। चयन सर्वसम्मति से सेविका पद पर चयन किया जाता है।

उक्त में अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद ज्ञापन के बाद आग्रह सभा की कार्यवाई समाप्त की गई।

ह०/–		ह०/–
सचिव	प्रखण्ड विकास पदा०	अध्यक्ष।
	नव मनोनित सदस्य।	वार्ड सदस्य

से उठ कर चले गये इसलिए उपाध्यक्ष के द्वारा आम सभा की शेष कार्यवाई पूरी की गयी।

क्रमांक	आवेदिका का नाम एवं पति का नाम	जाति	जन्मतिथि	मैट्रीक	प्रतिशत	इन्टर	बी०ए०	कुल
1	वन्दना कमारी पति अजय कुमार सिंह	साव	05.05.84	389/700	55.57	07		62
2.	मंजू कुमारी, पति मिथिलेश कुमार	यादव	01.01.94	277/500	55.4	07		62
3.	मृदुलता कुमारी पति शिवशंकर प्र० सिंह	साव	14.08.80	413/800	51.62	07		58
4.	नूतन कुमारी पति धर्मेन्द्र पासवान	दुसाध	05.05.90	274/700	39.14			39
5.	कंचन कुमारी पति जसवंत कुमार सिंह	सा०	05.08.83	210/700	30	07		37

Annexure-5

(18) (19)

सेवा में,

श्रीमान् जिला पदाधिकारी,

मधेपुरा।

विषय– ग्वालपाड़ा प्रखण्ड के ग्राम पंचायत बीरगाँव चतरा अन्तर्गत वार्ड नं० 05 में आँगनबाड़ी केन्द्र में सेविका पद हेतु जाति बाहुल्य (वर्ग बाहुल्य) वो अन्य अर्हताओं के बावजूद भी मेरा चयन नहीं करने के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयाधीन के संदर्भ में श्रीमान् को सादर सूचित करना है कि मैं नूतन कुमारी, पति श्री धर्मेन्द्र पासवान, निवासी ग्राम – वीरगाँव, पो० – चतरा, थाना + प्रखंड – ग्वालपाड़ा, वो जिला – मधेपुरा की हूँ। श्रीमान् को विदित हो कि ग्राम पंचायत – बीरगाँव – चतरा के वार्ड सं० 05 में बाल विकास परियोजना विभाग में सेविका पद हेतु दिनांक 29.06.2013 को आवेदन दी थी। उक्त पोषक क्षेत्र में अनुसूची जाति (पासवान – दूसाध वगैरह) की बाहुल्यता में दूसाध 113, चमार – 59 वो राजपूत 107 है। मुझे इस आधार पर छाँटा जा रहा है कि मेरा भैसूर श्री अजय पासवान एक नियोजित शिक्षक हैं, जिसका मानदेय 29.06.2013 को 6000 था, उसी समय मैंने आवेदन की थी। जबकि 6000 / – का मान्य था।

यह कि, श्रीमान् को विदित हो कि आई०सी०डी०एस०, बिहार सरकार द्वारा प्रदत्त संचिका सं० आई०सी०डी०एस० /30020/01/2011/2897 दिनांक 10.06.2013 को प्रेषित सभी जिला पदाधिकारियों को यह निर्देशित किया गया है कि प्रावधान अनुसार कंडिका 4 उप कंडिका – 4.9 स्पष्ट है कि आवेदिका अभ्यर्थी का भैंसूर उक्त प्रावधान मे नहीं आता है। दूसरी बात उस वक्त यानि 2013 में मेरे भैसूर का तनखाह मात्र 6000/–रू० ही था। 2004 में ही आवेदिका के पति भाई से न्यायालय द्वारा अलग है। इन सभी तथ्यों को नजर अंदाज करते हुए सी०डी०पी०ओ०, ग्वालपाड़ा की कुमार उर्वशी के द्वारा मेरा चयन न कर एक राजपूत बिरादिरी की बन्दना कुमार पति श्री अजय सिंह का चयन कर दी गई है। आम सभा दिनारंक 08.09.14 को हुई थी जब कि वार्ड सदस्य 8 सी०डी०पी०ओ० को कहते रहे सही बहाली किया जाय फिर भी सी०डी०पी०ओ० किसी का नहीं सुनी और आम सभा में कोई भी डिसीजन नहीं सुनाया व सदस्य और जनता कहते रहे सी०डी०पी०ओ० उठकर चली अपना आवास पर बन्दना कुमारी को नियोजन पत्र दे दिया।

तीसरी बात जो कि आम सभा की अध्यक्षता करने वाले वार्ड सदस्य श्री नारायण राम की राय की वो कुछ सदस्यों की मेरे पक्ष में सहमति के बावजूद भी सी०डी०पी०ओ० उल्लंघन कर गई।

उपर्युक्त तथ्यों, साक्ष्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में श्रीमान् से विनम्र निवेदन है कि सेविका पद पर मेरा चयन करने की कृपा की जाय, जिस पुनीत कार्य के लिए मैं श्रीमान् की सदा ही आभारी बनी रहूँगी।

ह०/–

नुतन कुमारी

आपकी विश्वासी,

ता० – 25.09.14

Annexure-6 (29)

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,

मधेपुरा।

विषय– ग्राम पंचायत वीरगाँव, चतरा अन्तर्गत वार्ड नं० 5 में आँगनबाड़ी सेविका पद पर की गई नियुक्ति रद्द करने के संबंध में।

प्रसंग– आँगनबाड़ी सेविका के पद पर नियुक्ति के संबध में।

महाशय,

सेवा में निवेदनपूर्वक कहना है कि मैं नूतन कुमारी, पति श्री धर्मेन्द्र पासवान, निवास ग्राम वीरगाँव, पोस्ट चतरा, थाना + प्रखंड ग्वलापाड़ा जिला मधेपुरा की रहनेवाली हूँ। श्रीमान् के आदेश से निर्गत विज्ञापन के आधार पर मैं ग्राम पंचायत वीरगाँव, चतरा के वार्ड नं० 5 में सेविका के पद पर नियुक्ति हेतु दिनांक 29.06.2013 को आवेदन दी थी। उक्त आवेदन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, ग्वालपाड़ा के द्वारा प्राप्त करने के बाद प्राप्ति रसीद दी गई। ज्ञातव्य हो कि मैं पासवान – दुसाद जाति से हूँ और मैं अनुसूचित जाति के अन्तर्गत आती हूँ ।

ज्ञातव्य हो कि उक्त पोषक क्षेत्र में बाहुल्तया अनुसूचित जाति 172 और राजपूत जाति 107 है। उक्त आधार पर मेरी नियुक्ति सर्वप्रथम विचार करनी चाहिए जैसा कि आँगनबाड़ी सेविका / सहायिका के चयन हेतु मार्गदर्शिका दिनांक 04.11.2011 को निर्गत किया गया।

पुनः श्रीमान् को बताना चाहूँगा कि श्रीमान् के आदेशानुसार वर्ष 2013 में ही आम बैठक बुलाकर सेविका पद पर नियुक्ति हेतु विचार करनी चाहिए लेकिन दिनांक 08.09.2014 को बैठक हुई, मार्गदर्शिका 2011 के अनुसार सम्बन्धित वार्ड के सदस्य अध्यक्ष श्री नारायण राम अध्यक्षता किये लेकिन अध्यक्ष के द्वारा प्रोसिडिंग बुक पर हस्ताक्षर नहीं किया गया लेकिन श्री संजय सिंह जो श्रीमती बन्दना कुमारी के भैंसुर हैं, उनके द्वारा सम्पन्न किया गया जो मार्गदर्शिका 2011 के अनुसार विपरीत है।

मीटिंग दिनांक 08.09.2014 के अनुसार मेरी नियुक्ति होनी चाहिए लेकिन श्री संजय सिंह के मिलीभगत से उनके संबंधित श्रीमती बन्दना कुमार जो उनके भाई की पत्नी हैं उनकी नियुक्ति की गई जबकि पोषक क्षेत्र के बाहुल्तया वर्ग में अनुसूचित जाति हैं न कि राजपूत जाति हैं जो कि मार्गदर्शिका के विपरीत श्रीमती बन्दना कुमारी की नियुक्ति की गई। वन्दना कुमारी की नियुक्ति पत्र मुझे अभी अप्राप्त है जबकि बैठक पंजी दिनांक 08.09.14 से स्पष्ट है कि बन्दना कुमारी की नियुक्ति की गई और मेरी नियुक्ति पर इसलिए नहीं विचार किया गया क्योंकि मेरे भैसुर अनुबन्ध पर शिक्षक पद पर कार्यरत हैं। जबकि निर्देशक समाज कल्याण विभाग के पत्रांक 2897 दिनांक 10.06.2013 से मार्गदर्शिका 2011 को संशोधित कर निर्गत किया गया जिसमें रिश्तेदार का अर्थ स्पष्ट किया गया कि आवेदक के रिश्तेदार माँ, पत्नी, बहू, ननद, भाभी (अग्रज की पत्नी और अनुज की पत्नी) बेटी, बहन ही रिश्तेदार के अर्थ में आते हैं न कि भैंसूर आते हैं। अतः मेरी नियुक्ति पर विचार करनी चाहिए। लेकिन वन्दना कुमार के सगे रिश्तेदार श्री संजय कुमार जो पंच वार्ड नं० 5 के हैं और सेलेक्शन कमिटी में एक सदस्य भी हैं। उन्होनें बैठक का संपादन अध्यक्ष के रूप में किया गया जो

कि मार्गदर्शिका 2011 के विपरीत है।

उक्त बातों के लेकर श्रीमान् के समक्ष दिनांक 25.09.2014 को मेरे द्वारा आवेदन देते हुए आग्रह / निवेदन किया गया कि श्रीमती बन्दना कुमारी की नियुक्ति आँगनबाड़ी सेविका के पद पर वार्ड नं० 5 वीरगाँव चतरा पंचायत में मार्गदर्शिका 2011 एवं संशोधित 2013 के विपरीत किया गया। उनकी नियुक्ति रद्द करते हुए मेरी नियुक्ति करने हेतु दिशा निर्देशित करने की कृपा की जाय।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि मेरे इस आवेदन पर विचार करने की कृपा की जाय, यदि श्रीमान् की कृपा नहीं होगी तो मैं लाचारवश मैं माननीय उच्च न्यायालय का शरण लूँगा।

श्रीमान् का विश्वासी

नूतन कुमारी,
पति श्री धर्मेन्द्र पासवान,
निवास ग्राम वीरगाँव, पोस्ट चतरा,
थाना + प्रखंड ग्वलापाड़ा,
जिला मधेपुरा

दिनांक – 18.10.2014